

62

न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची)

आदेश पत्रक

राजेन्द्र कुं साहु वगैरे बनाम लगडु महुवा वगैरे

क्र०/तिथि	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	की गई कार्रवाई
	<p>अभिलेख सं०-एम.....126...../2017 धारा-107 द०प्र०सं० थाना प्रभारी बुण्डू के अप्राथमिकी सं०-33/17 दिनांक-3/9/17 प्रस्तुत पुलिस प्रतिवेदन/आवेदन से सूचना मिली है कि बुण्डू थाना का सं० 49/17 दिनांक 1/9/17 धारा 341/323/506/34 भा० द० की लैक उभय पक्ष में तनाव है।</p> <p>जिससे संभावना है कि परिशांति भंग होगी या लोक परिशांति क्षुब्ध होगी या उभय पक्ष/विपक्षी कोई ऐसा असंतोषकारी कार्य करेंगे जिससे परिशांति भंग हो जाएगी या लोक परिशांति क्षुब्ध हो जाएगी।</p> <p>अतः मैं पायल राज, कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू(राँची) उक्त पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध द०प्र०सं० की धारा-107 के अन्तर्गत कार्यवाही आरंभ करती हूँ। उभय पक्ष/द्वितीय पक्ष के विरुद्ध सूचना निर्गत करें कि वे कारण दर्शित करें कि उन्हें एक वर्ष तक परिशांति कायम रखने के लिए उससे/उनसे प्रत्येक को 1000(एक हजार) रू० का बन्ध पत्र उसी राशि के दो जमानतदारों के साथ राशि दाखिल करने हेतु आदेश क्यों नहीं दिया जाय।</p> <p>अभिलेख तिथि 25-09-17 को उपस्थापित करें। लेखापित एवं संश्लेषित</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p> <p>कार्यपालक दण्डाधिकारी, बुण्डू।</p>	<p>25-09-17</p> <p>16/10</p> <p>अभिलेख उपस्थापित उभय पक्ष उपस्थित उभय पक्ष वगैरे दाखिल की दिनांक 16-10-17 को 22वें कोल्लि पत्रों को फाइल स्पेसिफिक दिनांक 6/11</p>

तिथि	आदेश एवं दण्डाधिकारी का हस्ताक्षर
<p>04-05-18 18-05-18</p>	<p>पीठासीन फंक्शनरी शिक्का पर दिनांक 08-06-18 को रखे।</p>
<p>08-06-18</p>	<p>अभिलेख उपरनामित। प्रथम पल कमांक 01 उपरिष्ठ अन्य अधिवक्ता दायरी दिनांक पर कमांक 01 उपरिष्ठ अन्य अधिवक्ता दायरी। उक्त वाद में 6 (छः) माह की अवधि पूरी हो चुकी है अर्थात् वाद कालबाधित हो गया है। अतः वाद में अभिलेख की कारवाही बन्द की जाती है।</p> <p style="text-align: right;">8/6/18</p>